

7658

Request-95

By Regd. Post

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To;

The District Judge,
Sultanpur.

70

No. 9709 /IV-3653/Admin.(A) dated 06-07-2018

Subject: Grant of three advance increments to Ms. Poonam Singh, the then Chief Judicial Magistrate, Sitapur presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Sultanpur in accordance with G.O. dated 13.04.2018.

Sir,

With reference to endorsement no. 694/2018 dated 21.04.2018 of the District Judge, Sitapur, on the above subject, I have to say that benefit of three advance increments has already been sanctioned to Ms. Poonam Singh by the Court. So far as grant of three advance increments on promotional post in accordance with G.O. no. 8/2018/279/II-4-2018-45(12)/91 T.C., dated 13.04.2018 is concerned, I am directed to say that necessary action is to be taken at the end of Additional Director (Treasuries), Camp Office, Kutchery Road, Allahabad.

Ms. Poonam Singh may kindly be informed accordingly.

Yours faithfully,

Rd
6/7/2018
Deputy Registrar

A.R.(Admin. A1)/D.R.(M.)

May kindly see letter dated 21.04.2018(placed below) of Ms. Poonam Singh, & may like to issue with the approval of Ld. Registrar(Jud.)(Budget)

Registrar (A) (B)
may like to approve the draft?
Rd
17/7/2018
DR

16/05/18
(R.O.)
H. O. S. 18
A.R.

General letter be issued to all the Judicial officer who have already been received the three increment as per G.O.

A.R. Admin A1
Rd
5/7/2018
DR

R. C. S.
05/07/18

Request-95

Mon
21.5.18

Reg. No. 7555
File No. IV-3653
Serial No. 69

7-5-18 8-5-18

Bindo
11-5-18

R
Invest
03/05/18
Total 1000

1564
28-4-18

प्रेषक,
पूनम सिंह,
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
सीतापुर।
सेवा में,
महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा- मा0 जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

विषय-शासनादेश सं0 8/2018/279/दो/2018-45(12)/91 टी0 सी0
दिनांकित 13 अप्रैल 2018 के अनुरूप प्रार्थी को एल0एल0एम0 परीक्षा की
उपाधि रखने पर सीनियर डिवीजन कैडर में प्रोन्नति होने की तिथि से
वेतन वृद्धि का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

802

महोदय,
ससम्मन निवेदन करना है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या के अनुसार
प्रार्थी एल0 एल0 एम0 उपाधि धारक है तथा जूनियर डिवीजन कैडर में तीन अतिरिक्त
वेतन वृद्धि प्राप्त कर चुकी है। उक्त शासनादेश के अनुसार सीनियर डिवीजन कैडर
में भी प्रोन्नति की तिथि से उक्त अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्राप्त करने हेतु अई है।

श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के
संज्ञान में लाकर प्रार्थिनी को तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि सीनियर डिवीजन कैडर में
प्रोन्नति की तिथि से दिलाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीया,
Poonam
21.4.18
(पूनम सिंह)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
सीतापुर।

दिनांक 21.04.2018

संलग्नक,
सम्बन्धित शासनादेश की छायाप्रति।

8
D.R.(M)
(M.L.)

30 APR 2018

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE
SITAPUR
694/2018 DATE 21.04.2018
FORWARDED
District Judge
Sitapur

S.O. (Admin H)
Kindly resubmit this serial
alongwith file at the time of
meeting of Honble Committee
16/5/18
(R.D.)

D-R. (R.R.) Admn
S.O. Admn, AI
R.D.
21/5/2018
MS Swita
14/5/18

Request 95

संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91टी0सी0

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2018

विषय:- रिट याचिका संख्या-1649(एस बी)/2013 नीलकान्त मणि त्रिपाठी व 29 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017, रिट याचिका संख्या-678(एस बी)/2014 अभय प्रताप सिंह-II बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017 तथा रिट याचिका संख्या-1496 (एस बी)/2015 संजय शंकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के अनुपालन में उ0प्र0 न्यायिक सेवा के एलएल0एम0 उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेडूटी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 मई, 2009 तथा सपठित शासन के पत्र संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 03-01-2013 द्वारा मा0 शेडूटी आयोग की संस्तुति को दिनांक 21-03-2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान की गयी थीं।

2- इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-सी-19/2012 भरत कुमार शान्तीलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15-11-2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-03-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-03-2015 द्वारा 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विषयगत तीनों रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 08-05-2017 एवं 03-05-2017 के प्रस्तर-60 में निम्न व्यवस्था दी गयी :-

60. Accordingly, letter dated 03.01.2012 is quashed and the Government Orders dated 13.05.2009 and 27.03.2015 require clarification/modification to the extent they deny the benefit of three advance increments to those judicial officers who have

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

acquired/acquire higher qualification of LL.M. after joining the service, therefore, we direct that :-

- i. The benefit of three advance increments shall also be admissible to the petitioners as well as all other similarly situated judicial officers in the State of U.P.
- ii. The judicial officers who acquire the degree of LL.M. before joining the service shall be entitled to three additional increments from the date of joining the service or from the date of implementation of the Government Order, as the case may be, while those who have acquired/acquire the same after joining the service shall be entitled to these increments from the date of acquisition of the higher qualification of LL.M.
- iii. The additional increments shall continue to be drawn by the judicial officers on their further promotion and/or placement in higher pay scale, as the case may be.

The writ petitions are decided accordingly. No order as to costs.

4- उपर्युक्त आदेश दिनांक 03-05-2017 में मा० न्यायालय के आदेशानुसार शासन द्वारा जारी किये गये अनुपालन आदेश संख्या-6/2018/149/दो-4-2018-45(12)/91 टी०सी०, दिनांक 03-04-2018 एवं तत्क्रम में जारी शुद्धि-पत्र संख्या-7/2018/149 ए/दो-4-2018-45(12)/91 टी०सी०, दिनांक 04-04-2018 को सम्यक् विचारोपरान्त मा० न्यायालय के आदेश के अनुरूप न होने के कारण उसे एतद्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 03-05-2017 (जिसमें दिनांक 08-05-2017 को प्रदत्त दोनों आदेश समाहित हैं), के समादर में बिन्दुवार अनुपालन करते हुए श्री राज्यपाल निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित आदेश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं, उन्हें 03 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा।
- (2) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के पूर्व एलएल०एम० की उपाधि रखते हैं, उन्हें सेवा में आने के दिनांक से अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से, जो भी लागू हो, अथवा ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के उपरान्त एलएल०एम० की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से 03 अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देय होंगी।
- (3) उपर्युक्त अतिरिक्त वेतनवृद्धियों का लाभ सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति/उच्च वेतनमान में जाने पर, जो भी स्थिति हो, मिलता रहेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-वे.आ. 2-206/दस-2018, दिनांक 13-04-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2018/279(1)/दो-4-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार, ऑडिट, प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- (5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- (7) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (8) समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, 30प्र0 ।
- (9) समस्त कोषाधिकारी, 30प्र0 ।
- (10) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, 2 व 3, 30प्र0 सचिवालय।
- (11) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5/ वित्त(वेतन-आयोग) अनुभाग-2, 30प्र0 सचिवालय।
- (12) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, 30प्र0 सचिवालय।
- (13) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
- (14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिता श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।